

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2020—कार्तिक 1, शक 1942

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

**गृह-सी विभाग**  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अक्टूबर 2019

**विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2021 का सूचना तथा कार्यक्रम**

क्रमांक एफ-09-114/गृह-सी/परीक्षा/2020.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 25 जनवरी, 2021 से दिनांक 01 फरवरी, 2021 तक रायपुर/दुर्गा/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अम्बिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निर्मांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

**सोमवार, दिनांक 25-01-2021**

| क्रमांक<br>(1)                                                                                                                                       | प्रश्न पत्र<br>(2) | समय<br>(3)                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1. पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.                                      |                    | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 01.00 बजे तक. |
| 2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).                                           |                    |                                            |
| 3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).                                                              |                    |                                            |
| 4. विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).                                                          |                    |                                            |
| 5. पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.                                                           |                    |                                            |
| 59. Paper-1, “Electrical Laws (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                   |                    |                                            |
| सोमवार, दिनांक 25-01-2021                                                                                                                            |                    |                                            |
| 6. दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. |                    | दोपहर 02.00 बजे से<br>शाम 05.00 बजे तक.    |
| 7. दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.                                            |                    |                                            |
| 8. प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                              |                    |                                            |
| 60. Paper-2, “Earthing and Electrical Safety (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                    |                    |                                            |

| (1) | (2)                                                                                                                                                 | (3)                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     | <b>मंगलवार, दिनांक 26-01-2021 को शासकीय अवकाश</b>                                                                                                   |                                            |
|     | <b>बुधवार, दिनांक 27-01-2021</b>                                                                                                                    |                                            |
| 9.  | पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-“ए” आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.      | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 01.00 बजे तक. |
| 10. | पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“बी”.                     |                                            |
| 11. | पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-“सी”.                     |                                            |
| 12. | उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                            |                                            |
| 13. | प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                     |                                            |
| 14. | लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).                                             |                                            |
| 61. | Paper-3, “Electrical Installation (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                              |                                            |
| 66. | प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.        |                                            |
|     | <b>बुधवार, दिनांक 27-01-2021</b>                                                                                                                    |                                            |
| 15. | दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.                | दोपहर 02.00 बजे से<br>शाम 05.00 बजे तक.    |
| 16. | प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.                |                                            |
| 17. | तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.                                                             |                                            |
| 18. | प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                |                                            |
| 19. | लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).                                              |                                            |
| 62. | प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                 |                                            |
| 67. | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों की सहायता से), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये. |                                            |

## गुरुवार, दिनांक 28-01-2021

| (1)                        | (2)                                                                                                                                                                                          | (3)                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 20.                        | तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.                                             | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 01.00 बजे तक. |
| 21.                        | प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                 |                                            |
| 22.                        | प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.                                                                                                                    |                                            |
| 23.                        | पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.                                                                                                                      |                                            |
| 24.                        | प्रश्न पत्र-“व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.                                                                                                                              |                                            |
| 63.                        | Paper-5 “Switchgear and Protection (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                      |                                            |
| 68.                        | तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.                           |                                            |
| गुरुवार, दिनांक 28-01-2021 |                                                                                                                                                                                              |                                            |
| 25.                        | प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                            | दोपहर 02.00 बजे से<br>शाम 05.00 बजे तक.    |
| 26.                        | सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                  |                                            |
| 27.                        | प्रश्न पत्र-“पुलिस शाखा” (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.                                                                                                               |                                            |
| 28.                        | दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.                                                                                                                  |                                            |
| 29.                        | तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.                                                                                                                      |                                            |
| 30.                        | स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                         |                                            |
| 31.                        | चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.                                              |                                            |
| 32.                        | समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                 |                                            |
| 64.                        | Paper-6, “Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                    |                                            |
| 69.                        | चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये. |                                            |

**शुक्रवार, दिनांक 29-01-2021**

| (1)                         | (2)                                                                                                                                                                        | (3)                                     |                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 33.                         | प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. | प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक. |                                      |
| 34.                         | प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                  |                                         |                                      |
| 35.                         | प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                        |                                         |                                      |
| 36.                         | प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                            |                                         |                                      |
| 37.                         | प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                         |                                         |                                      |
| 38.                         | प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                        |                                         |                                      |
| 39.                         | प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                      |                                         |                                      |
| 40.                         | प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                   |                                         |                                      |
| शुक्रवार, दिनांक 29-01-2021 |                                                                                                                                                                            |                                         | दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक. |
| 41.                         | प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                    |                                         |                                      |
| 42.                         | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.                             |                                         |                                      |
| 43.                         | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                   |                                         |                                      |
| 44.                         | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                         |                                         |                                      |
| शनिवार, दिनांक 30-01-2021   |                                                                                                                                                                            | प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक. |                                      |
| 45.                         | प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                              |                                         |                                      |
| 46.                         | प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                    |                                         |                                      |
| 47.                         | प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.                                                         |                                         |                                      |
| 48.                         | प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                 |                                         |                                      |
| 49.                         | द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                          |                                         |                                      |

| (1)                                              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 50.                                              | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| 65.                                              | प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 01.00 बजे तक. |
| <b>शनिवार, दिनांक 30-01-2021</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| 51.                                              | प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 52.                                              | प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 53.                                              | सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| 54.                                              | तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दोपहर 02.00 बजे से<br>शाम 05.00 बजे तक.    |
| 55.                                              | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 56.                                              | द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 57.                                              | प्रश्न पत्र तृतीय-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| <b>रविवार, दिनांक 31-01-2021 को शासकीय अवकाश</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <b>सोमवार, दिनांक 01-02-2021</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| 58.                                              | हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रातः 10.00 बजे से<br>दोपहर 01.00 बजे तक. |

**नोट :-**

- सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.
4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 26-12-2020 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.
6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण देव गौतम, सचिव.

## गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 7-07/2016/दो-गृह/भापुसे.— राज्य शासन एतद्वारा श्री प्रदीप गुप्ता, (भापुसे) संचालक, संचालनालय लोक अभियोजन, छ.ग. को दिनांक 15-09-2020 से 18-09-2020 (कुल 04 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर 2020 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता आगामी आदेश तक, संचालक, संचालनालय, लोक अभियोजन, छ.ग., के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 29 अगस्त 2020

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/12472/भू-अर्जन/2020.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला<br>(1) | तहसील<br>(2) | ग्राम/नगर<br>(3) | क्षेत्रफल<br>(4) | लोक प्रयोजन का विवरण<br>(5)                                                                                            |
|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कोरबा       | पाली         | ढुकुपथरा         | 0.756 हेक्टेयर   | ढुकुपथरा-पर्रापखना मार्ग पर गाजर नदी पर सबमर्सिबल पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण, ग्राम-ढुकुपथरा. |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-09-2020 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ढुकुपथरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

|     |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण                                                          | — | ढुकुपथरा-पर्रापखना मार्ग पर गाजर नदी पर सबमर्सिबल पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य.                                                                                                                                      |
| 2.  | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या                                            | — | 09 परिवार                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या                                           | — | 09 परिवार                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या.            | — | निरंक                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.          | — | निरंक                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?                                                      | — | हां                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?                            | — | हां                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | परियोजना की कुल लागत                                                                    | — | रुपये 439.42 लाख                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | परियोजना से होने वाले लाभ                                                               | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 10 ग्रामों के लगभग 14725 ग्रामवासी लाभान्वित होंगे.                                                                                                                 |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को पूर्व से जमा राशि रुपये 10.00 लाख में से राशि रुपये 5.00 लाख का समायोजन करने हेतु लेख किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक                                             | — | निरंक                                                                                                                                                                                                                        |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**किरण कौशल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/12/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

| अनुसूची       |       |                         |                                  | धारा 12 के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                                                                               |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भूमि का वर्णन |       |                         |                                  |                                                                        |                                                                                                             |
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |                                                                        |                                                                                                             |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                                    | (6)                                                                                                         |
| गरियाबंद      | छुरा  | पीपरछेड़ी<br>प.ह.नं. 22 | 0.193                            | परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी.<br>प्रोजेक्ट), लो.नि.वि. रायपुर<br>(छ.ग.). | पाण्डुका - जतमई -<br>घटारानी - गायडबरी -<br>मडेली - मुडागांव मार्ग<br>का उन्नयन एवं<br>चौड़ीकरण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/13/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

| अनुसूची       |       |                        |                                  | धारा 12 के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                                              |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| भूमि का वर्णन |       |                        |                                  |                                                                        |                                                                            |
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |                                                                        |                                                                            |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                                    | (6)                                                                        |
| गरियाबंद      | छुरा  | जुनवानी,<br>प.ह.नं. 23 | 0.256                            | परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी.<br>प्रोजेक्ट), लो.नि.वि. रायपुर<br>(छ.ग.). | छुरा-राजिम ब्हाया<br>तरीघाट मार्ग का उन्नयन<br>एवं चौड़ीकरण कार्य<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/14/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

| अनुसूची       |       |                        |                               | धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                              | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                          |
|---------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| भूमि का वर्णन |       |                        |                               |                                                                  |                                                                     |
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |                                                                  |                                                                     |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                           | (5)                                                              | (6)                                                                 |
| गरियाबंद      | छुरा  | बोईरगांव<br>प.ह.नं. 14 | 0.106                         | परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.). | छुरा-राजिम व्हाया तर्तीघाट मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छतर सिंह डेहरे, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरिया बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक 6659/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

| अनुसूची       |         |           |                               | धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                               | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                       |
|---------------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| भूमि का वर्णन |         |           |                               |                                                                   |                                                                  |
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |                                                                   |                                                                  |
| (1)           | (2)     | (3)       | (4)                           | (5)                                                               | (6)                                                              |
| कोरिया        | खड़गवां | जिल्दा    | 0.73                          | कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.). | हुडिका जलाशय सिंचाई योजनाबाध एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गावां/चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक 6660/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |                          |                                  | धारा 12 के द्वारा                                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                                       |
|---------------|---------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                                                       | का वर्णन                                                                |
| (1)           | (2)     | (3)                      | (4)                              | (5)                                                                     | (6)                                                                     |
| कोरिया        | खड़गवां | मुकुन्दपुर<br>प.ह.नं. 06 | 3.607                            | कार्यपालन अभियंता जल संसाधन<br>संभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया<br>(छ.ग.). | मेरो जलाशय सिंचाई<br>योजनाबाध एवं नहर<br>निर्माण हेतु भूमि का<br>अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां/चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक 6661/अ-82/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |           |                                  | धारा 12 के द्वारा                                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                                       |
|---------------|---------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                                                       | का वर्णन                                                                |
| (1)           | (2)     | (3)       | (4)                              | (5)                                                                     | (6)                                                                     |
| कोरिया        | खड़गवां | मेरो      | 0.380                            | कार्यपालन अभियंता जल संसाधन<br>संभाग बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया<br>(छ.ग.). | मेरो जलाशय सिंचाई<br>योजनाबाध एवं नहर<br>निर्माण हेतु भूमि का<br>अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां/चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-बरमकेला  
(ग) नगर/ग्राम-पठियापाली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.525 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर   | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|--------------|------------------------|
| (1)          | (2)                    |
| 108/1क/2     | 0.086                  |
| 108/1क/3     | 0.043                  |
| 108/1क/10    | 0.021                  |
| 108/1क/5     | 0.043                  |
| 107/5क       | 0.237                  |
| 14/7ख        | 0.022                  |
| 14/2ग        | 0.129                  |
| 96/1, 131/1क | 0.093                  |
| 93/4         | 0.036                  |
| 96/2, 131/2ख | 0.077                  |
| 140          | 0.045                  |
| 108/1क/1     | 0.086                  |
| 108/1क/4     | 0.043                  |
| 108/1क/11    | 0.022                  |
| 108/1क/13    | 0.086                  |
| 119/3        | 0.035                  |
| 14/7ग        | 0.022                  |
| 106/1क       | 0.071                  |
| 96/6, 131/2च | 0.004                  |
| 93/1         | 0.049                  |
| 96/5, 131/2ङ | 0.053                  |
| 144/1        | 0.032                  |

(1)

(2)

|              |       |
|--------------|-------|
| 108/1क/7     | 0.171 |
| 108/1क/9     | 0.022 |
| 108/1क/8     | 0.021 |
| 108/1क/14    | 0.043 |
| 14/6         | 0.089 |
| 14/7घ        | 0.022 |
| 14/5ग        | 0.112 |
| 130/3        | 0.032 |
| 146/6        | 0.028 |
| 96/4, 131/2घ | 0.024 |
| 108/1क/12    | 0.085 |
| 108/1क/6     | 0.042 |
| 108/5        | 0.144 |
| 108/1क/15    | 0.042 |
| 14/7क        | 0.022 |
| 14/8         | 0.089 |
| 130/1        | 0.065 |
| 96/2, 131/1ख | 0.069 |
| 146/5        | 0.028 |
| 146/2        | 0.040 |

योग 42 2.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पठियापाली जलाशय योजना के तहत डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-बरमकेला  
(ग) नगर/ग्राम-झाबड  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.323 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर                                                                                           | रकबा<br>(हेक्टेयर में) | (1)          | (2)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|
| (1)                                                                                                  | (2)                    | 538/5        | 0.093 |
|                                                                                                      |                        | 535/1        | 0.012 |
| 11                                                                                                   | 0.061                  | 537/2        | 0.004 |
| 73                                                                                                   | 0.004                  | 533/1क       | 0.012 |
| 17                                                                                                   | 0.032                  | 531/4        | 0.016 |
| 61                                                                                                   | 0.016                  | 560/1, 561/4 | 0.028 |
| 74/2                                                                                                 | 0.053                  | 530/6        | 0.005 |
| 64/2                                                                                                 | 0.024                  | 538/4        | 0.005 |
| 62                                                                                                   | 0.016                  | 535/10       | 0.020 |
| 12/1                                                                                                 | 0.020                  | 533/3        | 0.012 |
| 75                                                                                                   | 0.049                  | 531/2        | 0.032 |
| 12/2                                                                                                 | 0.016                  | 548          | 0.057 |
| 15/1                                                                                                 | 0.016                  | 535/4        | 0.057 |
| 72/2                                                                                                 | 0.016                  | 535/8        | 0.020 |
| योग                                                                                                  | 12                     | 536          | 0.016 |
|                                                                                                      |                        | 533/4        | 0.012 |
|                                                                                                      |                        | 531/3        | 0.028 |
| (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पठियापाली जलाशय योजना के तहत डूबान एवं नहर निर्माण हेतु. |                        | 550/1        | 0.004 |
|                                                                                                      |                        | 538/3        | 0.020 |
| (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.         |                        | 535/9        | 0.012 |
|                                                                                                      |                        | 537/1        | 0.004 |
|                                                                                                      |                        | 533/2        | 0.020 |
|                                                                                                      |                        | 532/3        | 0.005 |
| रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020                                                                         |                        | 550/2        | 0.028 |

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.547 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 530/5      | 0.025                  |

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

- |     |    |       |
|-----|----|-------|
| योग | 25 | 0.547 |
|-----|----|-------|
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पठियापाली जलाशय योजना के तहत डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2020

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-बरमकेला  
(ग) नगर/ग्राम-मारोदरहा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 297/2क, 297/2ख, 299/1/1 | 0.065 |
| 326/3                   | 0.050 |
| 298/4                   | 0.014 |
| 324/2                   | 0.012 |
| 340/5                   | 0.017 |
| 341/1                   | 0.002 |
| 297/2ख, 297/2क, 299/1/1 | 0.013 |
| 327                     | 0.060 |
| 297/2ग                  | 0.004 |
| 326/2                   | 0.018 |
| 340/4ख                  | 0.018 |
| 341/2                   | 0.007 |
| 325/1                   | 0.040 |
| 298/1                   | 0.038 |
| 323/1                   | 0.003 |
| 337/1                   | 0.012 |
| 340/3क                  | 0.015 |
| 325/2                   | 0.024 |
| 298/3                   | 0.012 |
| 323/2च                  | 0.020 |
| 337/4                   | 0.015 |
| 340/2                   | 0.024 |

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| योग | 22 | 0.483 |
|-----|----|-------|

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैगामुडा जलाशय योजना के तहत डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-बरमकेला  
(ग) नगर/ग्राम-डडाईडीह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.557 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |

|      |       |
|------|-------|
| 82/1 | 0.014 |
| 77   | 0.035 |
| 25/2 | 0.011 |
| 26/3 | 0.034 |
| 31/1 | 0.013 |
| 82/2 | 0.013 |
| 76   | 0.039 |
| 24/4 | 0.070 |
| 26/4 | 0.010 |
| 74   | 0.034 |
| 24/1 | 0.082 |
| 25/1 | 0.036 |
| 26/5 | 0.013 |
| 75   | 0.031 |
| 24/2 | 0.082 |
| 26/1 | 0.027 |
| 31/5 | 0.013 |

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| योग | 17 | 0.557 |
|-----|----|-------|

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बैगामुडा जलाशय योजना के तहत डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**भीम सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 10 जून 2020

क्रमांक 571/न.ग्रा.नि./2020.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15(1) के अनुसरण में हरदीबाजार निवेश क्षेत्र सम्मिलित ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 146/नग्रा.नि./2020 कोरबा, दिनांक 07-02-2020 द्वारा किया गया था. जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 20-03-2020 में हुआ है.

अतः एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.) द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट हरदीबाजार निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

### अनुसूची

#### हरदीबाजार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम रैकी एवं हरदीबाजार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
- पूर्व में :** ग्राम हरदीबाजार एवं बम्हनीकोना ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
- दक्षिण में :** ग्राम बम्हनीकोना एवं नेवसा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
- पश्चिम में :** ग्राम नेवसा एवं रैकी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

**निरीक्षण स्थल :** कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.).

No. 571/T. & C.P./2020.—The existing land use maps and register for the hardibazar Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), vide notice No. 146/T&CP/2020 Korba, 07-02-2020 which is Published in Chhattisgarh Gazette on dated 20 March 2020).

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use maps and register of Hardibazar Planning Area including villages so prepared and published are duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Korba (C.G.) under the provision of sub-section 3 of Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above

maps and register have been duly prepared and adopted it.

#### SCHEDULE

##### **Limits of Hardibazar Planning Area**

- NORTH : Village Renki and Hardibazar upto the North limit.
- EAST : Village Hardibazar and Bahmanikona upto the East limit.
- SOUTH : Village Bahmanikona and Newsa upto the South limit.
- WEST : Village Newsa and Renki upto the west limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

**Inspection Site :** Office of the Deputy Director, Town & Country Planning, Korba (CG).

के. एस. कंवर,  
प्र. उप संचालक.

---